

सोलहवीं राजस्थान विधान सभा

पंचम-सत्र

विधान सभा समाचार (बुलेटिन)

भाग-2

विधान शाखा

(विधान सभा के कार्य तथा अन्य विषयों के बारे में सामान्य जानकारी)

संख्या: 19

विधान सभा भवन,
जयपुर, दिनांक : 22 जनवरी, 2026

विधेयकों पर प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव एवं विधेयक की मूल भाषा के संबंध में

सामान्यतः यह देखने में आया है कि माननीय सदस्यों द्वारा विधेयकों पर प्रस्तुत किये जाने वाले संशोधन प्रस्ताव विधेयक की मूल भाषा में प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं।

इस संबंध में माननीय अध्यक्ष पद से पूर्व में दिये गये महत्वपूर्ण निर्णय के अनुसार "विधेयक जिस भाषा में हो उसी भाषा में संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किये जा सकते हैं।"

साथ ही माननीय सदस्यों को विधेयकों की प्रतियां उपलब्ध करवाई जाती है, उनके द्वारा विधेयकों के सदन में पुरःस्थापन से पूर्व ही संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिये जाते हैं। इस संबंध में संसदीय पद्धति और प्रक्रिया में यह उल्लेख है कि :-

"सदस्य चाहें तो किसी विधेयक पर संशोधन की सूचना उसके पुरःस्थापित होने के साथ ही दे सकते हैं।"

अतः माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि विधेयकों पर उपरोक्तानुसार ही संशोधन प्रस्तुत करें अन्यथा संशोधन प्रस्ताव अग्राह्य कर दिये जायेंगे।

भारत भूषण शर्मा
प्रमुख सचिव